एकल पट्टा प्रकरण : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आई.ए.एस. संधू समेत चार से जवाब मांगा

आर.टी.आई. कार्यकर्ता अशोक पाठक की विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की

-कार्यालय संवाददाता-

- उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई अब 21 नवंबर को तय की
- एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट के गत 17 जनवरी के उस निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने संधू समेत अन्य तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ केस वापस लेने की कार्रवाई को सही माना था।
- मामले से जुडे अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को भी नोटिस जारी कर रखे हैं। अदालत ने इस एस.एल.पी. को समान मामले में शांति धारीवाल के खिलाफ दायर एसएलपी के साथ नत्थी करने को कहा है।

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने एकल पट्टा प्रकरण में पूर्व आईएएस जीएस संधू, रिटायर आरएएस निष्काम दिवाकर, ओंकार मल सैनी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने इस एसएलपी को समान मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ दायर एसएलपी के साथ नत्थी करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 21 नवंबर को तय की है।

एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट के गत 17 जनवरी के उस निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने संधू सहित अन्य तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ केस वापस लेने की कार्रवाई को सही माना था। मामले से जुडे अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को भी नोटिस जारी कर रखे हैं।

याचिका में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ दर्ज केस की एफआईआर को केवल शिकायतकर्ता के राजीनामे के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। यह केस राज्य सरकार का केस है और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार केस को वापस लेना जनहित का नहीं है और इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। हाईकोर्ट ने मामले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप होते हुए भी राज्य सरकार की केस लेने की कार्रवाई को सही माना है। इसलिए हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया जाए। गौरतलब है कि एसीबी ने 2014 में परिवादी रामशरण सिंह की ओर से गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को एकल पट्टा जारी करने में धांधली व भ्रष्टाचार होने की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। जिसमें कंपनी के प्रोपराइटर शैलेन्द्र गर्ग, यूडीएच के पूर्व सचिव जीएस संधू, जेडीए जोन-10 के तत्कालीन उपायुक्त ओंकार मल सैनी, निष्काम दिवाकर सहित गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों अनिल अग्रवाल और विजय मेहता को आरोपी बनाया था।

आर.टी.आई. कार्यकर्ता अशोक पाठक ने बताया कि राजधानी जयपुर में 300 करोड़ रुपये की जमीन के एकल पट्टा घोटाले के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सेवानिवृत आईएएस जी.एस.संधू, रिटायर्ड आरएएस निष्काम दिवाकर, ओंकारमल सैनी के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसे चुनौती देते हुए मैंने 17 जनवरी 2023 को 2022 को परिवादी रामशरण सिंह की प्रोटेस्ट पिटीशन पर निर्णय बाद में करने, जांच एजेंसी एसीबी को मुख्यमंत्री कार्यालय की भूमिका की जांच करने, गलत जांच करने के लिए दो आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने, पुलिस अधीक्षक से उच्च स्तर के अधिकारी से निर्धारित बिंदुओं पर फरदर इन्वेस्टिगेशन करने के निर्देश दिए थे।

इसके बाद परिवादी रामशरण सिंह की ओर से सीबीआई से जांच करवाने की प्रार्थना वाली क्रिमिनल रिट 292/2022 उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत की थी, इसमें न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार ने 12 जुलाई 2023 को फैसला सुनाया कि परिवादी स्वर्गीय रामशरण सिंह के पुत्र सुरेंद्र सिंह एसएलपी पेश की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के न्यायाधीश सूर्यकांत और दीपंकर दत्ता ने आज नोटिस जारी किए हैं।

पाठक ने बताया कि राजस्थान कांग्रेस सरकार की ओर से प्रस्तुत आपराधिक विविध याचिका संख्या 1909/2022 की सुनवाई के बाद राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में न्यायाधीश फरजंद अली के एक्स-पार्टी निर्णय 17 फरवरी 2022 के विरुद्ध परिवादी रामशरण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (क्रिमिनल) 2144/2022 (डायरी नंबर 6544/2022) प्रस्तुत की थी। जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता के. सुल्तान सिंह ने परिवादी रामशरण सिंह की ओर से पैरवी की थी, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय 7 अप्रैल 2022 को सुनाया था, इस निर्णय की पालना में ट्रायल कोर्ट एसीबी कोर्ट नंबर 4 जयपुर महानगर ने 18 अप्रैल की याचिका को वापस लेने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया था और अशोक पाठक के प्रार्थना पत्र पर निर्देश दिया था कि पृथक से याचिका प्रस्तुत की जाए।

इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता के.सुल्तान सिंह ने मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में आपराधिक विविध याचिका संख्या 5353/2022 प्रस्तुत की थी, न्यायाधीश एन.एस.ढड्डा ने 15 नवंबर 2022 को फैसला सुनाते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को राहत दी थी। इस फैसले के विरूद्ध अशोक पाठक ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की। सर्वोच्च न्यायालय अशोक पाठक की दोनों एसएलपी पर एक साथ सुनवाई करेगा। अशोक पाठक ने कहा कि आरोपी अभी इस घोटाले से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लडाई जारी रहेगी।

'कोटपूतली नगर परिषद चार सप्ताह में जवाब पेश करे'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट में कोटपूतली नगर परिषद द्वारा नेशनल हाईवे 8 से संलग्न दो छोटी सड़कों पर नियमों का उल्लंघन करते हुए तोड़फोड़ करने की कार्रवाई से संबंधित मामले पर आज पुनः सुनवाई हुई। जैसा कि विदित है इस मामले की 10 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने नगर परिषद से जवाब मांगा था कि उसके द्वारा 60 फीट चौड़ी सड़क को 80 फीट या उससे ज्यादा चौड़ा करने के संबंध में पारित प्रस्ताव किन विशेष सड़कों के संदर्भ में पारित हैं, उसक पूरी जानकारी दें, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के अनुसार जिन सड़कों पर कार्रवाई की गई थी वह 60 फीट चौड़ी थी ही नहीं।

याचिकाकर्ताओं ने इस संदर्भ में अदालत में उक्त क्षेत्र के सबसे नवीनतम नक्शे भी पेश किये थे। अदालत ने इस मामले की पिछली सुनवाई में नगर परिषद को यह भी कहा था कि परिषद सड़क चौड़ा करने का केवल प्रस्ताव ही पारित कर सकती है, उसके बाद उसे यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना पड़ता है, जो अन्ततः स्थानीय लोगों से आपत्तियां आमंत्रित करने और गजट नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ही तोड़ फोड़ की कार्रवाई की अनुमति दे सकती है। गत सुनवाई के दौरान नगर परिषद की ओर से अपना जवाब पेश करने के लिये चार सप्ताह का समय और मांगा गया है। अब यह मामला सितम्बर के अंतिम दिनों में सुना जायेगा। इस मामले के तथ्यों के अनुसार 2021 और 22 में तत्कालीन नगर पालिका ने कोटपूतली में सरदार सीनियर सैकेण्डरी स्कूल रोड और हाईवे से नगर पालिका चौराहा तक सड़कों पर अस्थाई कब्जों को हटाने के संबंध में नोटिस जारी किया था, परंतु अन्ततः 150 मकान व दुकानें ध्वस्त कर दी थीं।

गैर आर.ए.एस. से आई.ए.एस. पदोन्नति के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आईएएस के पदों पर पदोन्नित के लिए गैर आरएएस सेवा के अधिकारियों का कोटा तय करने के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीजे एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। खंडपीठ ने गत 7 जुलाई को पदोन्नित प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को कहा था कि वह राज्य सरकार की ओर से पदोन्नित के लिए भेजे अफसरों के नामों पर आगे की कार्रवाई ना करे।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि ऑल इंडिया सर्विस एक्ट व उसके नियम-विनियम के तहत आईएएस सेवा के 66.67 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और 33.33 प्रतिशत राज्य के प्रशासनिक अफसरों की पदोन्नित से भरे जाने का प्रावधान है। वहीं अपवाद परिस्थिति में ही इस 33.33 प्रतिशत कोटे में से पद अन्य सेवा के अफसरों से भरे जा सकते हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार ने मनमाने तरीके से हर साल ही अन्य सेवा के अफसरों से आईएएस पद पर पदोन्नित देने की परंपरा बना ली है। पूर्व में गैर आरएएस से पदोन्नत हुए आईएएस का पद खाली होने पर राज्य सरकार इस पद को गैर आरएएस को ही पदोन्नत कर भरती है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने गत 17 फरवरी को सभी विभागों में पत्र भेजकर अन्य सेवाओं से आईएएस सेवा में पदोन्नित के लिए आवेदन मांगे और स्क्रीनिंग कमेटी ने अन्य सेवा के अफसरों का चयन कर पदोन्नित के लिए यूपीएससी को अपनी सिफारिश भेज दी है। वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह राघव ने बताया कि राज्य सरकार आईएएस प्रमोशन नियम, 1954 के तहत इस तरह से प्रमोशन करती आ रही है। इस नियम के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार की राय से अन्य सेवाओं के विशेषज्ञ अधिकारियों की आईएएस पद पर नियुक्ति कर सकती है।

उत्तर पश्चिम रेलवे G20

ई-निविदा सूचना संख्या: 85-23-24

मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर भारत के राष्ट्रपति की ओर से इच्छुक ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य के लिए दिनांक 14.09.2023 को 15.00 बजे तक खुली ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं। **(1) निविदा संख्या: 85, कार्य का नाम व स्थान:** सहायक मण्डल इंजीनियर, उ.प.रेलवे, सादुलपुर के अधीन रेवाड़ी-सादुलपुर खण्ड पर टीबीआर (71.88 किमी.) के संबंध में नावां, लोहारु, खुशालपुरा, गुगलवा किरतान, बेवड़ भोजान, कांधरान व सादुलपुर स्टेशनों पर विविध कार्यों की आवश्यकता। **अनुमानित लागत:** ₹ 12496833.68/- **धरोहर राशि:** ₹ 212500.00/- **नोट:** अन्य शर्तें रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखी जा सकती है। 897-DP/23

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

उत्तर पश्चिम रेलवे G20

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए मंडल रेल प्रबन्धक/सं.व.दू.उ.प.रे., जोधपुर द्वारा निम्नलिखित सिगनलिंग एवं टेलीकॉम सम्बन्धी कार्य हेतु मुहरबंद ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। **(1) निविदा नं.:** एसएण्डटी-जेयू-03-2023-24 **(2) कार्य का नाम:** जोधपुर मंडल के समपार फाटकों में कोडल लाइफ पूरी कर चुके इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर बदलने का कार्य। **(3) कार्य की अनुमानित लागत:** ₹ 95,78,919/- **(4) ई-निविदा जमाकर्ता कार्यालय का पूर्ण पता:** वरि. मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी. मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय, हरीश जोशी मार्ग, जोधपुर **(5) बयाना राशि (Bid Security):** ₹191600/- **(6) ई-निविदा प्रपत्र जमा कराने एवं खुलने की तारीख व समय:** 15.09.2023 को 11.00 बजे तक तथा ई-टेंडर ऑनलाइन आई.आर.ई.पी.एस 11.00 बजे बन्द होने के तुरन्त बाद खोली जायेगी। **वेबसाइट विवरण एवं नोटिस बोर्ड व कार्यालय जहाँ से निविदा का विवरण देखा जा सकें एवं खरीद की जा सके:** www.ireps.gov.in **नोट:-** यह एक ई-टेंडर है इसलिए इसमें भाग लेने के लिए ठेकेदार ई-टेण्डरिंग के द्वारा उल्लेखित वेबसाइट पर निविदा डालें। 908-DP/23

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

चंद्रमा पर चलने का अनुभव विद्याधर नगर की सड़कों पर मिलेगा

चंद्रमा के साउथ पोल में कुछ दिन पहले भारत के चंद्रयान-3 ने सफल लैंडिंग की, लेकिन राजधानी जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम की ओर जाने वाली सड़क पर भी इतने गड्ढे हैं कि चांद की सतह भी शर्मिंदा हो जाए। या फिर यूं कहें कि लोगों को चांद की सतह पर चलने जैसा अनुभव इस सड़क पर भी मिल सकता है। यहां सड़क में इतने गड्ढे हैं कि वाहन गुजरना तो मुश्किल है ही, लोगों को पैदल चलने में भी परेशानी उठानी पड़ती है, इसके बावजूद प्रशासन को आमजन की यह परेशानियां नजर नहीं आती। फोटो-दिनेश भारद्वाज

चालान पेश करने के लिए दिया समय

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के ईईएन से मारपीट के मामले में पांच सितंबर तक सुनवाई टालते हुए राज्य सरकार को चालान पेश करने को कहा है।

सिर में गोली लगने से घायल हुए कांस्टेबल की एस.एम.एस. अस्पताल में उपचार के दौरान मौत

पुलिस अधिकारियों जनप्रतिनिधियों व कई लोगों ने शोक जताया

- जयपुर के एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी पर परिजनों ने प्रदर्शन किया
- सरकार की ओर से मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए, पारिवारिक पेंशन, मकान और गलेन्ट्री सम्मान के लिए केन्द्र सरकार को लिखने के आश्वासन पर सहमति बनीं

जयपुर/दौसा, (निस)। बदमाशों से मुठभेड़ में सिर में गोली लगने से गंभीर रुप से घायल जिला स्पेशल टीम में कार्यरत कांस्टेबल प्रहलाद की उपचार के दौरान मौत हो गई। जयपुर एसएमएस के बाहर लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। बाद में सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के बाद लोग शांत हुए।

बाइक चोर को पकड़ने के दौरान फायरिंग में घायल जिला स्पेशल टीम डी.एस.टी. के कॉन्स्टेबल प्रहलाद सिंह ने जयपुर के एस.एम.एस .हॉस्पिटल में इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह दम तोड़ दिया। 34 वर्षीय कॉन्स्टेबल प्रहलाद 2008 में पुलिस में भर्ती हुए थे। वे सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र के गांव चीपलाटा के रहने वाले थे। 10 जुलाई 1989 को जन्मे प्रहलाद सिंह 12 मई 2021 से दौसा जिले की जिला स्पेशल टीम में कार्यरत थे। दौसा जिले के सिकंदरा थाना इलाके के रेटा गांव में बुधवार 23 अगस्त की सुबह दो बाइक चोरों से टीम की आपस में मुठभेड़ हुई थी। बाइक चोर का पीछा करते हुए सिपाही प्रहलाद सिंह खुद की जान की परवाह किए बगैर रेटा गांव में बाजरे के खेत में घुस गए थे। बाइक चोर बदमाश के हाथ में हाथियार था। उसने पलटकर प्रहलाद के सिर में गोली मार दी। इसके बाद घायल प्रहलाद को दौसा हॉस्पिटल लाया गया व वहां प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल रेफर किया गया था।

मृतक कांस्टेबल प्रहलाद

मोर्चरी पर हंगामा:- सिपाही प्रहलाद के दम तोड़ने की खबर पहुंची तो भारी संख्या में उसके परिजन और रिश्तेदारों सहित अन्य लोग एसएमएस के मुर्दाघर के बाहर जमा हो गए। उन्होंने सिपाही को शहीद का दर्जा देकर शहीद का पैकेज देने की घोषणा करने का सरकार पर दबाव बनाया। प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी नहीं होने तक शव लेने से इनकार कर दिया। पुलिस प्रशासन में खबर पहुंचल आलाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजन और प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा के बारे जानकारी दी। काफी जद्दोजहद के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए तो पुलिस ने राहत की सांस ली। सरकार ने प्रहलाद के परिवार को 1 करोड रुपए के साथ ही पारिवारिक पेंशन, एमआईजी-ए-श्रेणी का मकान, बिजली का कूषि कनेक्शन और गलेन्ट्री सम्मान के लिए केन्द्र सरकार को लिखने का भी आश्वासन दिया है।

पाटन संवाददाता के अनुसार:- मृतक कांस्टेबल नीम का थाना जिले के गांव चीपलाटा की ढाणी खातीवाला के रहने वाले थे। मौत की खबर सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। कांस्टेबल प्रहलाद सिंह के एक बेटा व एक बेटी है, जिसमें बड़ा बेटा चिराग 5 साल का व बेटी शानू 2 साल की है। तीन भाइयों में प्रहलाद सिंह दूसरे नंबर का था। कांस्टेबल प्रहलाद सिंह 2008 में भर्ती हुए थे तथा दोसा के सदर थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। हाल ही में कांस्टेबल प्रहलाद सिंह जिला स्पेशल टीम में काम कर रहे थे। ग्रामीणों ने सरकार से बहादुर कांस्टेबल को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। मृतक प्रहलाद का शव शनिवार को थाने में पहुंचेगा, उसके बाद उसके शव को उसके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। जहां उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, सांभरलेक जिला जयपुर

क्रमांक-न.पा.सा.ले./2023-24/1606 दिनांक-24/8/2023

आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरीय क्षेत्र में स्थित 'श्री श्याम सरोवर' पालिका द्वारा अनुमोदित कॉलोनी में खातेदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर योजना के मानचित्र में स्थित Informal comm. Area के क्षेत्रफल 426.15 वर्गगज भूमि को आवासीय में परिवर्तन कराने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है।

अतः इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन से 7 दिवस में मय दस्तावेज लिखित में आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका मण्डल, सांभरलेक

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 20/23 विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी नाम (1) ईन्द्र जीत कोर छाबडा पुत्र स्व. सुरजीत सिंह (2) हरजीत सिंह छाबडा पुत्र स्व. सुरजीत सिंह जाति सिख

विवाद स्थान म.न.47/42 किरण पथ मानसरोवर जयपुर राज.

मृतक स्व.सुरजीत सिंह की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 4.9.2023

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम स्व. सुरजीत सिंह पुत्र स्व. प्रताप सिंह जाति.... निवासी 47/42 किरण पथ का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 04 माह 09 सन् 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 01 माह 06 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

आज्ञा से-शरिस्तेदार
अपर जिला एवम् सैशन न्यायाधीश क्रम-4, जयपुर महानगर (प्रथम)

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 225/23 विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी नाम दर्शना देवी पत्नी स्व.श्री मांगीलाल जाति.....

विवाद स्थान प्लाट नं.3 श्याम नगर विस्तार बेनाड रोड पुलिस थाना करघनी जयपुर राज. मृतक मांगी लाल की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 11.10.23

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम मांगी लाल पुत्र पुत्र निगला राम जाति.... निवासी श्याम नगर विस्तार बेनाड रोड जयपुर राज. 302012 का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 11 माह 10 सन् 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 24 माह 08 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैंशन न्यायालय
जयपुर महानगर द्वितीय

खोया पाया

मेरे LIC फ्लैट नं. L-1/7 विद्याधर नगर, सेक्टर-6, के मूल आवंटन पत्र (Reg. No. 6058 dt. 20.05.2002) मेरे फ्लैट से शोपिंग सेन्टर-6, विद्याधर नगर के बीच गिर गया है। मिलने पर सूचित करें- सुनील कुमार बागला-9314500646

राजस्थान राज्य विद्युत मंडल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति संस्था, जयपुर (Reg. No. 216/83-84) का Society Registration Certificate, Constitution, and other Documents गुम हो गए है। B.S. Meena (Secretary) Mob. no. 9414044503

मेरे मकान- 94/128 विजय पथ मानसरोवर का आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, अदेय प्रमाण पत्र एवं मकान का कब्जा देने के सम्बन्ध मे वाला पत्र विजय पथ पर गिर गये! मिलने पर सूचित करें- 9314814119

JDA की स्कीम गोविंदपुरा सांगानेर जयपुर के प्लाट नंबर G-1115 जेडीए से जारी आवंटन पत्र सांगनेर में खो गया हे सुचित करें राजतिलक साहू मो 7728035941

मेरे नाम से जारी जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का मूल सर्टिफिकेट कहीं गुम हो गया है, उक्त सर्टिफिकेट कि मुझे बेहद आवश्यकता है। जिस किसी को मिले तो मुझे लौटाने की मेहरबानी करें। भगवान गुर्जर पुत्र बालू राम गुर्जर निवासी डिग्गी, तहसील मालपुरा जिला टोंक, मो. 8440049441

मेरे मकान 2/65, SFS, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर का "Allotment Latter" एवं 'Hending Over Taken over' कहीं खो गया है कृपया मिलने पर सूचित करें 9782600465

मेरे मकान नं. 11/37 मानसरोवर, जयपुर का मूल अलोटमेंट लेटर और पजेशन लेटर कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें 9837034600

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाव्य रामरतन मीणा पुत्र श्री रामपाल मीणा, निवासी-नांगल पुरोहितान, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर ने दिनांक 21.08.2023 को प्रभाती देवी पत्नी स्व.श्री मुरलीराम जाति-ब्राह्मण, निवासी-ग्राम-कल्याणपुरा, अनोपपुरा, जयपुर से जरिये इकरारनामा राजस्व ग्राम-कल्याणपुरा, पटवार हल्का दुर्गा का बास, मू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर में स्थित सम्पूर्ण खसरा क्रमश खसरा नम्बर 274/235, 275/336, 276, 277/359, 278, 279, 280, 281, 282, 283 कुल खसरा नम्बर संख्या-10 रकबा 4.1000 हैक्टेयर की भूमि को क्रय कर लिया है। कब्जा संभाल लिया है। यदि इस संबंध में कोई भी दीगर व्यक्ति लेन-देन करेगा तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि उक्त भूमि के संबंध में किसी भी दीगर व्यक्ति, संस्था आदि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो 7 दिवस के अन्दर अन्दर सूचित करें।

जयपुर (नईमुद्दीन) एडवोकेट
दिनाक-25/8/2023 मो.9352442148

कार्यालयः योगेश कुमार शर्मा, एडवोकेट, गांधी नगर, गंगापुर सिटी।

आम-सूचना

मैं अपनी पक्षकार श्रीमति ममता शर्मा पत्नी राजेश कुमार शर्मा पुत्री स्व०श्री सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कुडगाँव, तहसील सपोटरा, जिला करौली की ओर से सर्वसाधारण एक सर्व आम जन को सूचित करता हूँ कि मेरी पक्षकार के स्व० पिता सत्यनारायण शर्मा पुत्र स्वo सूरजमल जाति ब्राह्मण निवासी लिंवाली तहसील श्यामनवास जिला गंगापुर सिटी के अधिपत्य एवं स्वामित्व की जायदाद आवासीय भूखण्ड संख्या 8 आवासीय योजना श्री महालक्ष्मी बिला, ग्राम गोलियावास तहसील सांगानेर, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर, प्रोपर्टी आई०डी० 6010000113 कुल क्षेत्रफल 195.93 वर्गगज आज दिनांक तक विधि अनुसार अविभाजित है। इस भूखण्ड मे मेरी पक्षकार का जन्म से हित निहित है, तथा उक्त सम्पत्ति के अलावा अन्य सम्पत्तियों के विधि अनुसार विभाजन हेतु दावा नम्बर 65 / 2023 एवम् प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नम्बर 32 / 2023 न्यायालय ए०डी०जे० साहब नम्बर 1, गंगापुर सिटी मे विचाराधीन है। अतः कोई भी व्यक्ति उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार का समव्यवहार नही करे। यदि कोई व्यक्ति उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध मे स्व० सत्यनारायण के अन्य वारिसों से कोई समव्यवहार करता है, तो वह उसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगा, सूचित रहे।

योगेश कुमार शर्मा, एडवोकेट
गांधी नगर गंगापुर सिटी मो. 9414318374

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772

क्रमांक-DHC-II/1589 दिनांक-8.8.2023

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 60/183 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 91.50 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री राधा रमण स्वामी पुत्र श्री किशन लाल स्वामी को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1082 दिनांक 30.04.1998 को जारी किया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 07.02.1994 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात श्री राधा रमण स्वामी की मृत्यु दिनांक 05.02.2014 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री नवलकिशोर शर्मा पुत्र स्व.श्री राधा रमण स्वामी ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री नवलकिशोर शर्मा पुत्र स्व.श्री राधा रमण स्वामी के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम किशोर कुमार सिंघवी से बदलकर किशोर सिंघवी पुत्र स्व.मानकचंद सिंघवी रख लिया है। भविष्य में मुझे किशोर सिंघवी के नाम से जाना जावे। पताः मकान.नं.2039, तोलाराम पालीवाल की गली, नाहरगढ रोड जयपुर

मैंने मेरा नाम इकबाल खान मुगल से बदलकर इकबाल खान रख लिया। भविष्य में मुझे नये नाम से जाना जावे। पताः डी-405, विद्याधरनगर

मैनें अपना नाम यासमीन बानो बेगम से बदलकर यासमीन बानो (Yasmin Bano) धर्मपत्नी सलीम अहमद कुरैशी निवासी 960, हकीमजी की गली, एम.डी. रोड जयपुर रख लिया है भविष्य में मुझे Yasmin Bano के नाम से जाना पहचाना जावें।

We Rajesh Navlani & Sonia Navlani Have Changed Our Son's Name From Garvit Nawlani To Garvit Navlani For All Purpose. B-8, 3rd, Floor, Krishna Appartment, Hathi Babu Marg, Banipark, Jaipur (Raj.)

I Sohan Lal Goyal S/o Shimbhu Dayal Goyal R/o 61, Kaashi Sadan, C-Scheme, Karamchari Colony, Gangapur City, Gangapur, Sawai Madhopur, Rajasthan-322201, have changed my name to Sohan Goyal

तीये की बैठक

हमारे पूजनीय पिताजी
कालूराम पाँचाल
पुत्र स्व. श्री दुर्गालाल जी पाँचाल का आकस्मिक निधन दिनांक 24.08..2023 (गुरुवार) को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 26.08.2023 को दोपहर 12:00 बजे ग्राम बधेरा, बापू बाजार, जिला केकडी पर होगी।
शोकाकुल- राजेश जी, लाभचंद्र जी (भ्राता), विकास (पुत्र)।
मो.- 9829966857

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।